भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1247

08.12.2025 को उत्तर के लिए

तेलंगाना को सीएएमपीए निधि

1247. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तेलंगाना राज्य को अब तक प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों को सीएएमपीए निधि के आवंटन का निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): सरकार ने विभिन्न राज्य प्राधिकरणों को प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (काम्पा) निधियाँ प्रदान की हैं। तेलंगाना को अब तक कुल ₹3,852.61 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 एवं उसके नियम, 2018 का उद्देश्य वन भूमि का गैर-वन भूमि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने के परिणामस्वरूप वन आवरण एवं उससे संबंधित पारिस्थितिक सेवाओं की क्षति को कम करना है। यह उद्देश्य प्रतिपूरक वनीकरण, अवनत वनों की पुनर्स्थापना, वन्यजीव पर्यावासों के संवर्धन तथा जैव विविधता संवर्धन से कार्यकलापों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सीएएफ अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अपनी राज्य निधियों के उपयोग के लिए वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) तैयार करते हैं। सीएएफ अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम 5(2), (3) एवं (4) तथा सीएएफ नियम 2018 के नियम 6(क) के अनुसार स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य कार्यकलापों की व्यवस्था से संबंधित जो एपीओ तैयार की जाती हैं उनका अनुमोदन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जिससे राज्य वन विभाग को राज्य काम्पा निधि से प्रतिपूरक वनीकरण निधि आबंटित की जाती है ताकि अनुमोदित एपीओ के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों एवं नियमों के अनुसार अनुमोदित कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जा सके।

*****